6

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

डी0एफ0पी0/एफ0–1/367/2015

पत्रांक :–
प्रेषक,   पटना,   दिनांक :–

पंकज कुमार सिंह
उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना।

विषय :– मेसर्स आर्यन फूड एण्ड एग्रो इंटरप्राईजेज प्रा0 लि0, पटना को खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की समेकित विकास योजनान्तर्गत परियोजना को **प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (अंतिम) किस्त** के रूप में **₹ 37.56 लाख (सैंतीस लाख छप्पन हजार)** मात्र की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **मेसर्स आर्यन फूड एण्ड एग्रो इंटरप्राईजेज प्रा0 लि0, पटना** को खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की समेकित विकास योजनान्तर्गत देय अनुदान की कुल राशि **₹ 37.56 लाख (सैंतीस लाख छप्पन हजार)** होता है। जिसे क्रमशः 20 प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत के तीन किश्तों में विमुक्त किया जाना है। परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः **प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (अंतिम) किस्त** के रूप में कुल **₹ 37.56 लाख (सैंतीस लाख छप्पन हजार)** मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति निम्न शर्त्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

(क) अनुदान की राशि का उपयोग इन्टीग्रेटेड डेभलपमेन्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर योजना के अनुरूप परियोजना की परिसम्पतियों (एसेट्स) के निर्माण में किया जायेगा। इसका उपयोग बैंक के वर्किंग कैपिटल लोन की वापसी हेतु अथवा भिन्न अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा। साथ ही उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों/प्रमाण–पत्रों एवं अनुदान की गणना में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पाई जाती है तो निवेशक कम्पनी को यह राशि उद्योग विभाग को वापस करनी होगी।

(ख) निवेशक कम्पनी द्वारा राज्य सरकार के साथ किये गये एकरारनामा की शर्त्तों के अधीन अनुदान की राशि की स्वीकृति/विमुक्ति की जाती है। अनुदान की राशि का भुगतान कोषागार के माध्यम से किया जायेगा। विमुक्त किये गये अनुदान की राशि निवेशक कम्पनी के नो–लियन खाते में जमा किया जायेगा। नो–लियन खाते से आवश्यकतानुसार समय–समय पर राशि की निकासी कम्पनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि एवं उद्योग विभाग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

2. मेसर्स आर्यन् फूड एण्ड एग्रो इंटरप्राईजेज प्रा0 लि0, पटना को खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की समेकित विकास योजनान्तर्गत परियोजना को **स्वीकृत अनुदान की संशोधित गणना के अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (अंतिम) किस्त** के रूप में **₹ 37.56 लाख (सैंतीस लाख छप्पन हजार)** मात्र की विमुक्ति उक्त निहित शर्त्तों के अधीन किया जाता है।

3. उक्त राशि का व्यय वहन "राज्यादेश सं0–2060, दिनांक 11.06.18 एवं आवंटनादेश सं0–5/DI-B(Allotment)-16/2018,Order No.-1480 dated-13.06-2018 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग,उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता माँग सं0–23, उप शीर्ष–0160–प्रीप्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड–23–2852801020160 विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में उपबंधित राशि से विकलित होगा।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

5. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

6. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी0 टी0 सी0 फार्म–25 पर की जायेगी।

7. इस राशि का भुगतान मेसर्स आर्यन फूड एण्ड एग्रो इंटरप्राईजेज प्रा0 लि0, पटना के केनरा बैंक, एस0एम0ई0 शाखा पटना के नो–लियन खाता सं0–3985201000061 आई0एफ0एस0सी0 कोड–**CNRB0003985** में **RTGS** के माध्यन से भुगतान किया जायेगा।

ह0/–
उद्योग निदेशक
बिहार पटना।

ज्ञापांक :– पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
उद्योग निदेशक
बिहार पटना।

ज्ञापांक :– पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
उद्योग निदेशक
बिहार पटना।

ज्ञापांक :– पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड शाखा, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
उद्योग निदेशक
बिहार पटना।

ज्ञापांक :– पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
उद्योग निदेशक
बिहार पटना।

ज्ञापांक :– 150 पटना, दिनांक :– 9·1·19

प्रतिलिपि :– निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय,बिहार, पटना/श्री भी0एन0 ठाकुर, उप निदेशक (तक0), खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय उद्योग मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/मेसर्स आर्यन फूड एण्ड एग्रो इंटरप्राईजेज प्रा0 लि0, पटना /शाखा प्रबंधक केनरा बैंक, एस0एम0ई0 पटना शाखा एवं प्रबंधक, दाराशॉं, फ्लैट नं0–102, प्रथम तल, एस0एन0 मेहरा पैलेस, बोरिंग रोड, नार्थ एस0के0पुरी पटना 800013 को सूचनार्थ प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार पटना।